

प्रेषक,

भूपेन्द्र बहादुर सिंह,
अनुसचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक /
नोडल अधिकारी,
उ०प्र० लखनऊ।

वन एवं वन्यजीव अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक 18 अगस्त, 2017

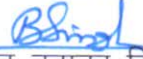
विषय :- सम्भल में मेरठ-बदायूं मार्ग (एस०एच०-18) के किमी० 142.600 से 162.000 तक 04 लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु 23.28 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 44 वृक्षों के पातन की अनुमति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया शासन को सम्बोधित एवं आपको पृष्ठांकित भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र संख्या-8बी/06/52/2017/एफसी/74 दिनांक 14.08.2017 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से विषयगत प्रकरण में कतिपय बिन्दुओं पर की गई आपत्तियों का निराकरण कर संशोधित सूचनायें एवं तत्सम्बन्धी अभिलेखों को उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गई है।

2- विषयगत प्रकरण में प्रस्ताव की 02 प्रतियां भेजते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र दिनांक 14.08.2017 में अंकित कमियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : प्रस्ताव की 02 प्रति।

भवदीय,

(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)
अनु सचिव।